Annexure – XII

संख्या 237 / मुख्य सचिव / 2005 देहरादून : दिनांक 15 सितम्बर 2005

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तरांचल शासन

दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना के अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से प्रभावी किये जाने की दृष्टि से सूचना विभाग द्वारा एक "Practical Guide Manual" विकसित किया जा रहा है, जिसे दिनांक 30 सितम्बर 2005 तक प्रकाशित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत सरल भषा में अधिनियम के प्राविधानों, सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रकिया आदि का विस्तार से उल्लेख होगा।

इस पुस्तक में सभी विभागों तथा उनके अधीन समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा नामित किये गये सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकरियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों की सूची (पता एवं दूरभाष सहित) भी विभागवार दी जायेगी।

उक्त मैनुअल सूचना के अधिकार संबंधी कार्य में संलग्न अधिकारियों / कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाये तथा साथ ही समुचित मूल्य पर यह पुस्तक जन साधारण को भी सुलभ कराया जाना प्रस्तावित है ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम का कियान्वयन सभी स्तरों पर सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

इस महत्वपूर्ण अभिलेख के प्रकाशन हेतु सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे नामित किये गये सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों के संबंध में संलग्न किये गये प्रारूप–1, प्रारूप –2, प्रारूप–3, प्रारूप–4 में सूचनाओं का भली–भांति परीक्षण करने के पश्चात दिनांक 20 सितम्बर 2005 से पूर्व सूचना विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

इस कार्य को समयबद्ध रूप से सम्पादित कराने के लिये आपका व्यक्तिगत ध्यान आवश्यक है।

(डा. आर. एस. टोलिया)
मुख्य सचिव